



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6923

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 449 वर्ष 2026

पंकज राजभरआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : प्रीति सिंह, श्रीनिवास यादव

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. सुश्री प्रीति सिंह, आवेदक की विद्वान अधिवक्ता, श्री आर.बी. पॉल, सूचक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आर.पी. सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 0308 वर्ष 2025, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना लार, जिला देवरिया में, विचारण के लम्बित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की है।
4. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त विशाल गोंड को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 243 वर्ष 2026 में दिनांक 8.1.2026 को पारित आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 12.9.2025 से कारागार में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक की भूमिका उक्त सह-अभियुक्त के समान होने के कारण, वह भी समानता के आधार पर जमानत पाने का अधिकारी है।
5. जमानत की प्रार्थना का सूचक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर कड़ा विरोध किया गया है कि यह सह-अभियुक्त विशाल गोंड के साथ समानता का प्रकरण नहीं है, क्योंकि आवेदक के इशारे पर मृतक के रक्त-रंजित वस्त्र तथा कड़ा बरामद हुआ है। यह भी कहा गया है कि अन्वेषण अधिकारी ने दिनांक 8.9.2025 को साक्षी नित्यानंद गौतम का बयान दर्ज किया है और उसने प्रत्यक्षदर्शी विवरण देते हुए मृतक पर हमला करने की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भूमिका आवेदक एवं सह-अभियुक्त दिवांशु सिंह को सौंपी है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी नहीं है।

6. प्रतिउत्तर में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि उक्त बरामदगी आवेदक पर थोपी गई है। यह भी कहा गया है कि उक्त साक्षी नित्यानंद गौतम को घटना के पांच दिन बाद जुटाया गया है, क्योंकि उसका बयान दिनांक 8.9.2025 को दर्ज किया गया है, अतः आवेदक जमानत का अधिकारी है।
7. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
8. आवेदक **पंकज राजभर**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा दो भारी जमानतदार, प्रत्येक समान राशि में, प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।
 1. आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक अभियोजन साक्षी को दबाव में नहीं लेगा / उन्हें भयभीत नहीं करेगा।
 3. आवेदक, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए, निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
 4. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।
 5. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत हो या साक्ष्य से छेड़छाड़ करे।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
10. मुचलके स्वीकार किए जाने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा आवासीय प्रमाण का सत्यापन किया जाए।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में किए गए अवलोकन किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगे।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी, 2026

शालिनी

Translated Version. Not For Legal Use.